

शिकण्डरा

शिकण्डरा खैबलर-2खी, आगरा

ग्रीन एण्वलेव

- आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर से भूकम्प रोधी निर्माण।
- बेडरूम/ड्राइंग/डाइनिंग रुम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में ग्रेनाइट स्टोन।
- अग्निरोधक पी0वी0सी0 कापर कन्सीलड वायरिंग एवं पावर ए0सी0 प्वाइन्ट का प्राविधान। टी0वी0 एवं फोन साकेट व एम0सी0बी0।
- फर्श पर एन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में उड़ीसा व अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा सी0पी0 टेप फिटिंग्स।
- कूकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल स्टेनलेस स्टील की सिंक।
- प्रवेश द्वार पर नाइट लैंप एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- केबिल/डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
- इण्टर काम व टेलीफोन/इण्टर नेट वायरिंग का प्राविधान।
- प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक (Lock) का प्राविधान।



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

MAIN ENTRANCE VIEW

Unit
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

PERSPECTIVE VIEW

Unit
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

BIRD EYE VIEW

Unit
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

ISOMETRIC VIEW (SINGLE UNIT) Single Flat Area : 100.09 Sq.M.

Unit:
APD - Unit-IV



GROUP HOUSING by U.P.H.D.B.
at SECTOR-02, SIKANDRA YOJNA, AGRA

RENDERED COMBINE UNIT PLAN Single Flat Area : 100.09 Sq.M.

Unit
APD - Unit-IV

परियोजना का विवरण

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना) सेक्टर-2सी, आगरा में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 'सिकन्दरा ग्रीन एन्क्लेव' में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष 2018 (प्रथम चरण) के फ्लैट्स का विवरण :-

1. फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स संख्या	कारपेट एरिया लगभग (वर्ग मीटर)	फ्लैट का विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि कुल मूल्य का 5 प्रतिशत (लाख में)	प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय 40 प्रतिशत धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 किश्तों में वसूल की जायेगी, प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि	प्राविधान
1.	2 BHK S+6	79	66.42	58.21	2.92	23.29	44990.00	1 ड्राइंग डायनिंग रूम 2 बैड रूम, किचन, 3 बालकनी, 2 टायलेट 1 बाक्स रूम।

नोट :

1. आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

2. फलैट्स की विशिष्टियां

- स्ट्रक्चर : आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर से भूकम्प रोधी निर्माण (परिकल्पना के आधार पर भवनों का निर्माण आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर एवं ईट चिनाई की दीवारों के साथ किया जाना है।)
- फर्श : बेडरूम / ड्राइंग / डाइनिंग रूम में विट्रिफाइड टाइल, कामन क्षेत्रफल में कोटा स्टोन।
- किचन : कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक
- ट्वायलेट : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में उड़ीसा व अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक-एक वाश बेसिन तथा सी0पी टेप फिटिंग्स।
- दरवाजे : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे लेमीनेटेड फ्लश डोर शटर्स, चौखट मलेशियन साल वुड / एंगिल आयरन।
- खिड़कियाँ : मलेशियन सॉल वुड फ्रेम एवं मराडी / चोप वुड विन्डो शटर्स मच्छर जाली सहित।
- रंग रोगन : अन्दर दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग। दरवाजों पर ईनेमल पेन्ट / पालिश।
- जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर0सी0सी0 का संयुक्त टैंक / आन्तरिक जलापूर्ति एवं सेनेटरी हेतु सी0पी0वी0सी0 पाईप।
- विद्युत : अग्निरोधक पी0वी0सी0 पाइप, कापर कन्सीलड वायरिंग एवं पावर ए0सी0 प्वाइन्ट का प्राविधान, टी0वी0 एवं फोन साकेट व एम0सी0बी0।
- स्टेयर केस : ग्रेनाइट स्टोन स्टेप पर एवं एम0एस0 रेलिंग वुडन टॉप सहित।
- डोर / विन्डो फिटिंग्स : एल्यूमिनियम फिटिंग्स गोल्डन फिनिशिंग।
- अन्य :
1. इण्टर कॉम व टेलीफोन / इण्टर नेट वायरिंग का प्राविधान।
 2. प्रवेश द्वार पर मोर्टिस लॉक (LOCK) का प्राविधान।
 3. केविल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
 4. प्रवेश द्वार पर नाइट लैंप एवं मैजिक आई का प्राविधान।
 5. परिषद को फलैट्स के निर्माण की विशिष्टियों व ड्राइंग में संशोधन करने का अधिकार होगा।

अतिरिक्त सुविधायें एवं चार्जेज :

- 2.1 प्रत्येक ब्लॉक हेतु 08 व्यक्तियों हेतु लिफ्ट की सुविधा ।
- 2.2 पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर की सुविधा ।
- 2.3 आन्तरिक वॉटर सप्लाई हेतु सी0 डब्ल्यू0 आर0 एवं वाटर लिफ्टिंग की सुविधा ।
- 2.4 पर्याप्त पार्किंग स्पेस ।
- 2.5 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है ।
- 2.6 प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः प्रथम तल 5 प्रतिशत द्वितीय तल 3 प्रतिशत, तृतीय तल 2 प्रतिशत एवं चतुर्थ तल 01 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा ।
- 2.7 उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्टिल्ट पार्किंग आरक्षित कराना आवश्यक होगा । स्टिल्ट कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रु0 1.50 लाख अतिरिक्त देय होगा एवं ओपन पार्किंग हेतु रु0 0.50 लाख अतिरिक्त देय होगा । यह धनराशि प्रत्येक दशा में विक्रय-विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करनी होगी ।
- 2.8 आवंटित सम्पत्ति पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित जी.एस.टी. अलग से देय होगी ।

- 2.9 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कापर्स फण्ड" में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि रु0 2.52 लाख प्रति फ्लैट देय होगी। पॉकेट में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेंटेनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कापर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित, हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त पॉकेट की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटियों को देना होगा।
- 2.10 परिसर का रख-रखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है इसके उपरान्त परिसर का रख-रखाव "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 2.11 फ्लैट्स में पावर बैकअप की वायरिंग/जनरेटर का प्राविधान मूल्य में सम्मिलित है। रख-रखाव व्यय प्रतिमाह आवंटी को देना होगा। 2 वर्ष की मेंटेनेन्स के बाद सोसाइटी के हस्तगत के पश्चात पावर बैकअप अलग से क्रय करना होगा, एक किलोवाट के बाद पावर बैकअप प्रति यूनिट अलग से देय होगा।
- 2.12 जल संयोजन/विद्युत संयोजन अपने मूल्य पर आवंटियों को संबंधित विभाग से लेना होगा। इनका मूल्य भवन की लागत में सम्मिलित नहीं है।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 सामान्य श्रेणी के 2 बी.एच.के. फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा उसे वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

- 4.6 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाता है, तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

- 5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, आवंटन होने पर प्रदेशन पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से एकमुश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 120 मासिक किश्तों में ब्याज सहित देय होगी।
- 5.2 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5.3 यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर जायेगी तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी।
- 5.4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5.5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सामान्य श्रेणी बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018 (प्रथम चरण)" के नाम बैंक ड्राफ्ट जो आगरा शहर में देय हो मांगपत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य आरक्षण नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार द्वारा वापस कर दी जायेगी।

- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट्स की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.5 सामान्यतः आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.6 तल एवं सम्पत्ति संख्या का निर्धारण लाटरी से किया जायेगा।



7. आरक्षण :

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में निर्गत आरक्षण शासन / परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण। (स) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को सुविधा अनुमन्य नहीं।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध कराये।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट :- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 तक में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे। लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 9 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सम्पत्तियों के विरुद्ध उ० प्र० राज्य के अनुसूचित जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (उ० प्र० सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित सूची के अनुसार) के आवेदकों को ही सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे। जाति प्रमाण पत्र उ० प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ० प्र० शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का कब्जा

- 9.1 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का निर्धारित समय सीमा में देय धनराशि जमा करने में व अन्य समस्त देय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा किया जायेगा।
- 9.2 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 9.3 मांग पत्र जारी होने के एक माह के भीतर भवन के कुल मूल्य का 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति करने पर कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र आगरा होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जायें कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच स्थान छोड़ने हेतु ब्लाक में एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में 'HW' भरें।
- 9 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-7 पर उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।
10. कोड न भरने की स्थिति में आवेदक पर अनारक्षित श्रेणी में विचार किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
11. बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर का लेखा शीर्षक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सामान्य श्रेणी बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018" होगा जो आगरा में देय होगा।
12. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु -14 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना आवेदक के हित में होगा।

13. लाटरी ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर बैंक एकाउण्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान के विलम्ब हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउण्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
14. आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
15. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
16. परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय पंजीकरण संख्या, शहर कोड तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
17. आवेदन-पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छाया प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु संदर्भ रहे।
18. आवेदन के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0 डी0, डी0 एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
19. तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट-बढ़ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेत मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

शहर	कोड	आरक्षण कोड	कोड संख्या
आगरा	01	अनुसूचित जाति	01
		अनुसूचित जन जाति	02
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03
योजना	कोड	अनारक्षित	04
		हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
सिकन्दरा योजना, आगरा	084	मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
लिंग	कोड	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
		उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
स्त्री	F	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
		समाज के विकलांग व्यक्ति	D
पुरुष	M	वरिष्ठ नागरिक	O
		विस्थापित	W

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां—जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार —

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय —

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन —

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति —

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा —

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से हैं।

चरण (पंजीकरण का खुलना) —

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य —

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति —

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है –

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- (3) यह सुविधा केवल स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को ही देय है उनके आश्रितों को यह सुविधा देय नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य –

सेवारत / सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य –

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य –

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य –

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य—

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

**बैंक शाखा का नाम व पता जहां से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र
(पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है**

**पंजीकरण 00 जनवरी 2018
से प्रारम्भ**

**आवेदन पत्र जमा करने हेतु
अन्तिम तिथि 00 फरवरी 2018**

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	दूरभाष नं०
1.	एक्सिस बैंक	अमित चक्रवर्ती, ब्रांच मैनेजर सी-2/49, कमला नगर, आगरा	मो. : 9759215881
2	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	रवि सोनी, ब्रांच मैनेजर ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, से.-13 सिकन्दरा योजना, आगरा	मो. : 9927396304

पंजीकरण पुस्तिका दि० 00 जनवरी 2018 से उपरोक्त बैंक / स्थान पर रू० 500/- मूल्य जमा करके प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण पुस्तिका उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ स्थित प्रचार अनुभाग से भी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन पत्र के आवागमन में डाक संबंधी विलम्ब हेतु बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

डाक द्वारा पुस्तक मंगाने हेतु (रु. 50/-) डाक खर्च अतिरिक्त देय होगा

नोट : आवेदन पत्र उल्लिखित बैंक में ही स्वीकार किये जायेंगे।

योजना के क्रियान्वयन एवं आवंटन आदि के सम्बन्ध में जानकारी के लिये परिषद के निम्न कार्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
सेक्टर-९ सिकन्दरा योजना, आगरा
फोन : 0562-2604018
मो. : 7705003242

**उप आवास आयुक्त
आगराजोन**
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कॉम्प्लेक्स, कमला नगर,
आगरा
फोन : 8795810015

**अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-२९**
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर-९ आफिस कम शापिंग काम्प्लैक्स
सिकन्दरा योजना, आगरा
फोन : 0562-2602523

**अधीक्षण अभियन्ता
षष्ठम वृत्त**
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कॉम्प्लेक्स, कमला नगर,
आगरा
फोन : 0562-2880097

सिकन्दरा योजना, सेक्टर-2सी आगरा में 2 BHK फ्लैट्स के आन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

प्रथम चरण (Step-1) :

आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "HIG Flats, Pt. Deeldayal Puram (Sikandara Yojna), Sector-2C, Agra" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाइन फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी0 / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात अगले कार्यदिवस (अपरान्ह 12 बजे के बाद) में निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' will be available.
- ✓ Applicant can choo

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(नोट—डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय हो के पक्ष देय होना चाहिए।)

*MOPS: Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के अगले कार्यदिवस (अपरान्ह 12 बजे के बाद)/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक Online Registration of flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID (DUxxxxxx..No) भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

"सम्पत्ति प्रबंधक
सम्पत्ति प्रबंध कार्याल-सिकन्दरा योजना,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस कम शापिंग काम्पलेक्स,
सेक्टर-9, सिकन्दरा योजना,
आगरा(उ0 प्र0)-282007"